(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 102/2017 दायर दिनांकः 07.11.2017

उनवान

1. प्रकाशचन्द पि. नानूराम जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
2. विष्णूलाल पि. नानूराम जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पि. कन्हैयालाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
2. मोरबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि तेजपाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
3. मायाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल हाल नि. बंदराई तहसील झालरापाटन
4. दुर्गीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी बीरम जाति मेघवाल हाल नि. ढावादेह तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. भंवरबाई बैवा कन्हैयालाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
6. **मृतक** — नानूराम पि. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. चछलाव

6/1 कमलाबाई बैवा नानूराम जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल

7. प्रभुलाल पि. भुवाना जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
8. शाखा प्रबन्धक H.K.G.B. शाखा सुनेल जिला झालावाड
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति —

वकील वादीगण — श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण — एकतरफा

निर्णय **दिनांक : 15.07.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] पटवार मण्डल चछलाव तहसील पिडावा हाल सुने[illegible] खसरा नम्बर 718 रकबा 08 बिस्वा, खस[illegible] खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 1093 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1094 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1095 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1096 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा व वर्तातान खाता संख्या 337 के खसरा नम्बर 160 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा आराजी है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। यह कि वाद के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी संवत 2067–2070 में खातेदार कालूलाल, कन्हैयालाल, शंकरलाल, नानूराम, पिता श्री मांगीलाल 1/2 हिस्सा तथा प्रभुलाल आत्मज श्री भुवाना 1/2 हिस्सा दर्ज थी, जो इसी प्रकार पूर्व से ही दर्ज चली आ रही थी। इस आराजी में खातेदार शंकरलाल व कालूलाल पिसरान मांगीलाल का खाता संख्या 24 संवत 2063–2066 मे 1/4 हिस्सा शंकरलाल का 1/8 हिस्सा व कालूलाल का 1/8 हिस्सा सहखातेदारी मे दर्ज था तथा 1/8 हिससा कन्हैयालाल व 1/8 हिस्सा नानूराम का था एवं खाता संख्या 23 संवत 2063–2066 में 1/4–1/4 हिस्सा निहित था। यह कि कालूलाल व शंकरलाल के कोई औलाद वारीस नही होने से वह अपनी सेवा व सार सम्भाल हैतु प्रकाशचन्द व विष्णूलाल के पास ही रहते थे और दोनो ने प्रकाशचन्द विष्णूलाल की सेवा से खुश होकर प्रसन्नचित मन से दिनांक 24.12.2004 को कालूलाल उर्फ कारूलाल ने अपने खाता संख्या 23 के खसरां नम्बर 160 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा के 1/4 हिस्से तथा संवत 2063–2066 के अनुसार खाता संख्या 24 की कुल किता 6 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा के 1/8 हिस्से की वसीयत वादी प्रकाशचन्द के पक्ष में तथा इसी प्रकार शंकरलाल ने संवत 2063–2066 के अनुसार खाता संख्या 23 की कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा के 1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 24 की कुल किता 19 बीघा 18 बिस्वा के 1/8 हिस्से की वसीयत वादी विष्णूलाल के पक्ष में उप पंजीयक सुनेल के समक्ष उपस्थित होकर पंजीयन करवाई है। इसी [illegible] कालूलाल ने वादी प्रकाशचन्द व शंकरलाल ने [illegible] संयुक्त रूप से रजिस्ट्रर्ड वसीयत करवाई है जिस[illegible] टीनेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

घोषित होने के आधिकारी है। यह कि वसीयतकर्ता कालूलाल उर्फ कारूलाल की मृत्यु दिनांक 10.12.2012 हो चुकी है और वसीयतकर्ता शंकरलाल की मृत्यु दिनांक 30.11.2009 को हो चुकी है लेकिन इन दोनो वसीयतकर्ता के द्वारा कि गई वसीयत के अनुसार वादीगण के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक नहीं किया जाकर नामान्तरण सं. 957 दिनांक 12.10.2011 को मृतक शंकरलाल का नाम सहखातेदार भाईयो के पक्ष में कम कर दिया तथा इसी प्रकार नामान्तरण 998 दिनांक 10.01.2013 मृतक कालूलाल का सहखातेदार भाईयों के पक्ष में उनका हिस्सा समायोजित कर खाते में नाम कम कर दिया जो गैरकानूनी है क्योंकि सहखातेदार कालूलाल प्रकाशचन्द के पक्ष में तथा खातेदार शंकर ने विष्णूलाल के पक्ष में संयुक्त रूप से रजिस्ट्रर्ड वसीयत की है जिसके आधार पर वादीगण का नाम खातेदार मृतक कारूलाल उर्फ कालूलाल और मृतक शंकरलाल के स्थान दर्ज होना चाहीए था जो राजस्व कर्मचारीयों की भूल से दर्ज नहीं हो सका है। यह कि वादीगण मृतक कालूलाल व शंकरलाल की वसीयत के ग्रहीता है रजिस्ट्रर्ड वसीयत से वादीगण वर्तमान खाता संख्या 338 की कुल किता 6 का कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा के 1/8–1/8 हिस्से तथा वर्तमान खाता संख्या 337 के कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा का 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर अमल किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हिस्से में गई दोनो मृतक कालूलाल, शंकरलाल के हिस्से को कम किया जाना आवश्यक है। यह कि वादी संख्या 1 का वाद के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी वर्तमान खाता संख्या 338 के खसरा नम्बर 718 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1092 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1093 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1094 रकबा 5 वीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1095 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1096 रकवा 3 वीघा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा व वर्ततान खाता संख्या 337 के खसरा नम्बर 160 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकवा 1 वीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 3 बींघा 09 बिस्वा आराजी [illegible] 1/8 व 1/4, हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/8 व 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/8 व 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है एवम स्थाई निषेधाज्ञा से भी पावन्द किया जाना भी आवश्यक है कि वे विवादग्रस्त आराजी को रहन, बैचान, हस्तान्तरण नही करे। यह कि प्रतिवादी संख्या 7 को भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 8 लेण्ड होल्डर पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादीगण द्वारा पूर्व में वाद पेश किया था वह नोट प्रेरा मे खारिज किया गया है उसमे किसी भी प्रकार का अनुतोष वादीगण ने प्राप्त नहीं किया है क्योंकि प्रतिवादीगण ने मौखिक सहमति वादीगण को उनका हिस्सा दर्ज करवाने की दे दी थी लेकिन बाद में मुकर गये तो यह पुनः वादीगण को माननीय न्यायालय मे वाद पेश करना पड रहा है। यह कि वाद कारण दिनांक 02.09.2017 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से उनकी मौखिक पारिवारिक स्वीकृति के अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की कही और उन्होने मना कर दिया तो पुनः वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 निम्न आशय की डिकी पारित की जावे।

(अ) ग्राम चछलाव पटवार हल्का चछवाल के खाता संख्या 338 के खसरा नम्बर 718 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1092 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1093 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1094 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1095 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1096 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा व वर्तमान खाता संख्या 337 के खसरा नम्बर 160 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा आराजी मे वादी को रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 के आधार मृतक खातेदार कालूलाल उर्फ कारूलाल के 1/8 व 1/4 हिस्से का तथा वादी नं. 2 को मृतक शंकरलाल के हिस्से 1/8 व 1/4 का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमंल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(ब) राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी संख्या 1 का ग्राम चछलाव की खाता संख्या 338 की कुल किता 6 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा में 1/8 हिस्से वादी संख्या 02 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा इसी प्रकार ग्राम चछलाव की खाता संख्या 337 के खसरा नम्बर 160 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा मे वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

(स) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की विवादग्रस्त आराजी रहन बैचान हस्तान्तरण नही करे व वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नही करे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में हो दिलाई जावे।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 06.02.2018 एवं दिनांक 26.07.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम चछलाव का खाता सं. 337, 338 जमाबंदी सं. 2071–74 की नकल प्रदर्श 1 से 2, ग्राम चछलाव का नामा.सं. 957 दिनांक 12.10.2011 नकल प्रदर्श 3, नामा.सं. 998 दिनांक 10.01.2013 नकल प्रदर्श 4, ग्राम चछलाव का खाता सं. 359, 360 जमाबंदी सं. 2075–78 की नकल प्रदर्श 5 से 6, रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 प्रदर्श 7 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में प्रकाशचन्द, मोहनलाल PW 1 To PW 2 के शपथ पत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित [illegible] को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चछलाव प.[illegible] आराजी पुराना खाता सं. 338 हाल [illegible]–18

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

बीघा व पुराना खाता सं. 337 हाल खाता सं. 359 किता 3 रकबा 3–09 बीघा भूमि कालूलाल, कन्हैयालाल, शंकरलाल व नानूराम पिस. मांगीलाल चमार हिस्सा 1/2 तथा प्रभूलाल पि. भुवाना हि. 1/2 की सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। कालूलाल पि. मांगीलाल एवं शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति चमार दोनो भाई लाऔलाद फोत हुए थे। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि कालूलाल पि. मांगीलाल व शंकरलाल पि. मांगीलाल के लाऔलाद होने से प्रकाशचन्द व विष्णुलाल के पास रहते थे। प्रकाशचन्द व विष्णुलाल ने ही इनकी देखभाल एवं सेवा सुश्रुशा की थी जिससे प्रसन्नचित होकर कालूलाल पि. मांगीलाल ने दिनांक 24.12.2004 को रजिस्टर्ड वसीयत से अपनी आराजी तत्कालीन खाता सं 23 हाल खाता सं. 359 किता 3 रकबा 3–09 बीघा अपने हिस्से 1/4 एवं तत्कालीन खाता सं. 24 हाल खाता सं. 360 कित 6 रकबा 19–18 बीघा में अपने हिस्से 1/8 की वसीयत प्रकाशचन्द के पक्ष में कर दी थी। इसी प्रकार शंकरलाल पि. मांगीलाल ने अपनी आराजी तत्कालीन खाता सं 23 हाल खाता सं. 359 किता 3 रकबा 3–09 बीघा अपने हिस्से 1/4 एवं तत्कालीन खाता सं. 24 हाल खाता सं. 360 कित 6 रकबा 19–18 बीघा में अपने हिस्से 1/8 की रजिस्टर्ड वसीयत विष्णुलाल के पक्ष में उप पंजीयक सुनेल में की थी। वादग्रस्त आराजी पर शंकरलाल एवं कालूलाल के जीवनकाल से आज तक वादीगण का लगातार व शांतीपूण कब्जा काश्त चला आ रहा है। इनके हिस्से पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। वसीयतकर्ता शंकरलाल पि. मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 30.11. 2009 को एवं कालूलाल पि. मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 10.12.2012 को हुई थी। राजस्व कार्मिको एवं ग्राम पंचायत चछलाव द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 का वसीयतग्रहिता वादीगण के पक्ष में नामान्तरण निर्णित नहीं करके प्रतिवादीगण से सांठ गांठ कर षंडयंत्रपूर्वक मृतको के अन्य भाईयो – कन्हैयालाल व नानूराम के पक्ष में विधि विरूद्ध रूप से नामा.सं. 957 दिनांक 12.10.2011 एवं नामा.सं. 998 दिनांक 10.01.2013 निर्णित कर वादीगण को उनके हक व अधिकारो से वंचित [illegible] गया। रजिस्टर्ड वसीयत को नजरअंदाज कर, मृतक शंकरलाल के लाऔ[illegible] फोत होने और इनके वारीसान पूर्व से ही सहखातेदार [illegible] ग्राम पंचायत चछलाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा विधि विरूद्ध रूप से नामा.सं. 957 दिनांक 12.10.2011 निर्णित कर मृतक शंकर का नाम डिलीट कर दिया गया जिससे कालूलाल, कन्हैयालाल, नानूराम पिस. मांगीलाल जाति चमार हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड हुआ। इसी प्रकार कालूलाल पि. मांगीलाल के लाऔलाद फोत होने और इनके वारीसान पूर्व से ही रिकार्ड पर होना मानकर ग्राम पंचायत चछलाव द्वारा विधि विरूद्ध रूप से नामा.सं. 998 दिनांक 10.01.2013 निर्णित कर मृतक सहखातेदार कालूलाल का नाम कम किया जाकर कन्हैयालाल पि. मांगीलाल हि. 1/4, व नानूराम पिस. मांगीलाल जाति चमार हि. 1/4 दर्ज रिकार्ड किये गये। अतः ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी पर ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामा.सं. 957 व 998 के प्रारम्भ से विधि विरूद्ध व प्रभावशून्य होने से खारीज करते हुए मृतक वसीयतकर्ता शंकरलाल व कालूलाल के हिस्से पर दर्ज प्रतिवादीगण का नाम कम किया जाकर वादीगण को चाहे गये अनुतोष अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी सात वर्षो तक कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया। बाद में न तो प्रतिवादीगण और न ही अभिभाषक प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः साबित है कि प्रतिवादीगण के पास अपने पक्ष में पेश करने के लिए न कोई साक्ष्य है और न ही कोई जवाब है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश ग्राम पंचायत चछलाव के नामा.सं. 957 दिनांक 10.12.2011 प्रदर्श 3 की पंजिका के मद कम 2 से 7 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खाता सं. 25 किता 3 रकबा 3–09 बीघा एवं खाता सं. 26 किता 6 रकबा 19–18 बीघा भूमि कालूलाल, कन्हैयालाल, शंकर व नानूराम पिस. मांगीलाल जाति चमार हि 1/2 के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा पेश रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 के अवलोकन से जाहिर है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार कालूलाल पि. मांगीलाल जाति चमार द्वारा ग्राम चछलाव की आराजी खाता सं. 23 ख.नं. 160, 161, 162 कुल किता 3 कुल रकबा 3–09 बीघा में अपने हिस्से 1/4 एवं खाता सं. 24 ख.नं. 718, 1092, 1093, 1094, 1095 व 1096 कुल किता 6 कुल रकबा 19–18 बीघा में अपने हिस्से 1/8 की वसीयत अपने भतीजे प्रकाशचन्द पि. नानूराम के पक्ष में एवं खातेदार एवं शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति चमार ने अपने हिस्से की वसीयत अपने भतीजे विष्णु पि. नानूराम के पक्ष में की गई थी। अतः स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता कालूलाल व शंकरलाल के फोत होने के बाद वसीयत की गई आराजी का नामान्तरण वसीयत ग्रहिता प्रकाशचन्द व विष्णुलाल के पक्ष में निर्णित किया जाना चाहिए था लेकिन वादीगण द्वारा पेश ग्राम चछलाव के नामा सं. 957 दिनांक 12.01.2011 प्रदर्श 3 की पंजिका के मद कम 9 व 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक शंकरलाल पि. मांगीलाल के स्थान पर उनके भाई कालूलाल, कन्हैयालाल, नानूराम पिस. मांगीलाल को वारीसान स्वीकार कर नामान्तरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार ग्राम चछलाव के नामा. सं. 998 दिनांक 10.01.2013 प्रदर्श 4 की पंजिका के मद कम 9 व 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक कालूलाल पि. मांगीलाल के स्थान पर उनके भाई कन्हैयालाल/वारीसान व नानूराम पिस. मांगीलाल को वारीसान स्वीकार कर नामान्तरण दर्ज किया गया।

7. रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 के अनुसार ग्राम चछलाव की वादग्रस्त आराजी में मृतक सहखातेदार शंकरलाल के खातेदारी अधिकारो का अंतरण वादी सं. 2 विष्णुलाल को एवं मृतक सहखातेदार कालूलाल के खातेदारी अधिकारो का अंतरण वादी सं. 1 प्रकाशचन्द को होना चाहिए था। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह जाहिर होता है कि उक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा खारीज किया गया हो। प्रतिवादीगण द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज या आदेश पेश नहीं किया जिससे वसीयत का खारीज होना साबित होता हो। ग्राम पंचायत चछलाव के नामा. सं. 998 के निर्णय में भी वादीगण द्वारा कोई आपत्ति किया जाने या कोई ... वसीयत पेश किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। वादीगण ने भी कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़
Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरण की ग्राम पंचायत चछलाव द्वारा नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व कार्मिको या पंचायत कोरम के समक्ष उन्होने उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को पेश किया हो और ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वसीयत को नजरअंदाज कर नामान्तरण दर्ज किये हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सहखातेदार शंकरलाल के फोत होने के बाद ग्राम पंचायत चछलाव द्वारा फोती नामा.सं. 957 निर्णित करते समय वादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को पेश नहीं करने से ग्राम पंचायत द्वारा मृतक शंकरलाल के वारीसानो के पक्ष में फोती नामान्तरण तस्दीक किया गया। इसके बाद भी वादीगण द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष उक्त नामा.सं. 957 की अपील पेश नहीं की गई। सहखातेदार कालूलाल के फोत होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.01.2013 को फोती नामा.सं. 998 दर्ज करते समय भी वादीगण द्वारा कोरम के समक्ष उक्त वसीयत को पेश नहीं किया जाना जाहिर होता है। नामा.सं. 998 के निर्णित होने के चार वर्षो से अधिक समय बाद दिनांक 02.09.2017 को वाद हेतुक उत्पन्न होना बताकर वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया वादीगण की लापरवाही को जाहिर करता है।

8. वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहान पीडब्ल्यू 2 मोहनलाल पि. मांगीलाल नि. चछलाव ने अपने सशपथ बयानों में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सं. 2063–66 में कालूलाल, कन्हैयालाल, शंकरलाल, नानूराम पिस. मांगीलाल हिस्सा 1/2 में दर्ज थी। सहखातेदार शंकरलाल व कालूलाल ने लाऔलाद होने से अपने भाई नानूराम के पुत्र प्रकाशचन्द व विष्णुलाल के पक्ष में उनकी सेवा से प्रसन्नचित होकर कार्यालय उप पंजीयक सुनेल में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 को करवायी थी।

9. हिन्दू धर्म में वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार की प्रक्रिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार शासित होती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2(एच) के अनुसार "A will is a legal declaration of the intension of the testator with respect to his/her property which he/she desires to be carried into effect after his/her death".

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

10. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 39 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अनुसार एक हिन्दू को उसकी सम्पत्ति को वसीयत के माध्यम से या अन्य Testamentary documents के माध्यम से निरतारित करने का अधिकार है। हिन्दू विधि अनुसार वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरन्त बाद प्रभावी हो जाती है। वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान वसीयत प्रभावी नहीं रहती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के प्रावधान निम्नानुसार है–

> **30. Testamentary succession**.— Any Hindu may dispose of by will or other testamentary disposition any property, which is capable of being so disposed of by him or by her in accordance with the provisions of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925), or any other law for the time being in force and applicable to Hindus.
>
> Explanation.—The interest of a male Hindu in a Mitakshara coparcenary property or the interest of a member of a tarwad, tavazhi, illom, kutumba or kavaru in the property of the tarwad, tavazhi, illom, kutumba or kavaru shall, notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, be deemed to be property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of this section.'

11. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार भी बेचान, दान, वसीयत आदि आधार पर खातेदारी अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है। धारा 41 के प्रावधान निम्नानुसार है –

> **41. Transferability of Khatedar's interest**.— The interest of a Khatedar tenant shall be

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

transferable otherwise than by way of sub-lease, subject to the conditions specified in sections 42 and 43.

12. अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी में मृतक खातेदार कालूलाल उर्फ कारूलाल व मृतक शंकरलाल के हिस्से पर विधि विरूद्ध रूप से खोले गए फोती नामानतरणो से भले ही राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया हो लेकिन उनके हिस्से पर वर्षो से वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण जबरन कब्जा काश्त करने की धमकी दे रहे है। यदि प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने में सफल हो गये तो वादीगण को उनकी स्वामित्व की भूमि व उसमें निहित कानूनी अधिकारो से वंचित होना पडेगा।

यह सही है कि पैरा सं. 6 से 11 में किये गये विवचेन के आधार पर मृतक खातेदार कालूलाल उर्फ कारूलाल व मृतक शंकरलाल के हिस्से पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है लेकिन इसके बावजूद भी वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज रहेगी, केवल सहखातेदारो के दर्ज हिस्सो में परिवर्तन होगा। यह सुस्थापित कानूनी सिद्धान्त है कि सहखाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक हिस्से पर हक व अधिकार होता है और ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार को अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। सहखातेदारी की अराजी में वादीगण को अपूरनीय क्षति कारित होना भी जाहिर नहीं होता है। सुविधा की दृष्टि से यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

13. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम चछलाव तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 359 किता 3 रकबा 0.8726 है. व खाता सं. 360 किता.6 रकबा 5.0333 है. भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर ग्राम चछलाव तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 359 किता 3 रकबा 0.8726 है. व खाता सं. 360 किता 6 रकबा 5.0333 है. भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 के आधार पर मृतक सहखातेदार कारूलाल पि. मांगीलाल व मृतक शंकरलाल पि. मांगीलाल के हिस्से पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/07/2025

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 102/2017 दायर दिनांकः 07.11.2017

उनवान

1. प्रकाशचन्द पि. नानूराम जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
2. विष्णूलाल पि. नानूराम जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पि. कन्हैयालाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
2. मोरबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नि तेजपाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
3. मायाबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल हाल नि. बंदराई तहसील झालरापाटन
4. दुर्गीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी बीरम जाति मेघवाल हाल नि. ढाबादेह तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. भंवरबाई बैवा कन्हैयालाल जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
6. मृतक — नानूराम पि. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. चछलाव

6/1 कमलाबाई बैवा नानूराम जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल

7. प्रभुलाल पि. भुवाना जाति मेघवाल नि. चछलाव तहसील सुनेल
8. शाखा प्रबन्धक H.K.G.B. शाखा सुनेल जिला झालावाड
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति —
वकील वादीगण — श्री नीलकमल त्रिवेदी
वकील प्रतिवादीगण — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल करार ...X...... रू. ...X.......
मिनजानित मुदई रूबरू ....X....................

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(20)

ग्राम चछलाव तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 359 किता 3 रकबा 0.8726 है. व खाता सं. 360 किता 6 रकबा 5.0333 है. भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2004 के आधार पर मृतक सहखातेदार कारूलाल पि. मांगीलाल व मृतक शंकरलाल पि. मांगीलाल के हिस्से पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

15/7/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मिज .....X..... मुबालिक .....X..... बावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वगारह .. ...X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बावत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बावत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner